पत्रांक :– 5/वि.1–39/2013................../

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

संकल्प

विषयः– **विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में।**

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभग, नई दिल्ली के पत्रांक–05/07/2003 ई0सी0वी0 दिनांक–22.12.2003 के निर्देशों/प्रावधानों के सम्यक विचारोपरांत दिनांक–01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए तत्कालीन प्रचलित पेंशन योजना के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसका नाम ''झारखण्ड सरकार, सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2004'' रखा गया है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार की सेवा में दिनांक–01.12.2004 को या इसके पश्चात् नियुक्त सरकारी सेवकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

2. झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत विश्वविद्यालयों में जहॉ राज्य सरकार के कर्मियों की भांति पेंशन सुविधा उपलब्ध है, को **''झारखण्ड सरकार, सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2004''** के अन्तर्गत लाना है।

3. विश्वविद्यालयों में कार्यरत ऐसे कर्मी, जो 01.12.2004 या उसके बाद की तारीख से विश्वविद्यालयों में नियमित कर्मी के रूप में सेवा प्रदान करते हैं, उनके लिए अनिवार्य रूप से झारखण्ड सरकार अंशदायी पेंशन योजना–2004 अक्षरशः लागू की जायेगी। योजना के प्रवृत्त होने की तिथि 01.12.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मी पूर्व प्रचलित सामान्य भविष्य निधि तथा पेंशन के पात्र होंगे।

4. योजनान्तर्गत कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र से मूल वेतन + अनुमान्य जीवन यापन भत्ते के कुल योगा का 10 (दस) प्रतिशत राशि की काटौती की जायेगी तथा समतुल्य राशि नियोक्ता अर्थात् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक कर्मी को सेवा में योगदान के साथ ही PRAN (Permanent Retirement Account Number) संबंधित Depository से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। PRAN आवंटन के पश्चात् ही उन्हें अगले माह का वेतन भुगतान किया जायेगा। दिसम्बर, 2004 से संकल्प निर्गत होने की अवधि में जिन कर्मियों द्वारा योगदान किया जा चुका है, उनके वेतन से कटौती PRAN आवंटित होने के पश्चात् ही की जायेगी।

5. उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग इस संबंध में क्रियान्वयन के निर्णय की जानकारी भविष्य निधि निदेशालय, जो कि इस योजना के लिए नोडल ऑफिस का भी कार्य करेंगे, को अग्रसारित करेंगे। भविष्य निधि निदेशालय इस संबंध में लेटर ऑफ कंसेन्ट Central Record Keeping and Accounting (CRA) Agency- National Security Depositary Limited (NSDL) को उचित कार्यवाही हेतु अग्रसारित करेंगे। तत्पश्चात् यह संबंधित विश्वविद्यालय की जवाबदेही होगी कि वे योजना को सुचारू रूप से लागू करें।

6. Central Record Keeping and Accounting (CRA) Agency- National Security Depositary Limited (NSDL) को प्रख्यापित सेवा शुल्क की अदायगी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। संबंधित विश्वविद्यालय अपने स्तर पर NSDL से आदान–प्रदान के लिए संपर्क स्थापित करेंगे एवं दस्तावेज अपलोड करने में दिक्कतों/कठिनाईयों का समाधान करेंगे। अंततः अंशदायी पेंशन योजना को लागू करने की जवाबदेही पूर्णतया विश्वविद्यालयों की होगी।

7. इस योजना के कार्यान्यवन हेतु संबंधित Statutes for the Grant of Retirement benefits to Employees of the Bihar/Ranchi/Bhagalpur/Magadh/L.N. Mithila/K.S.D. Sanskrit University में अपेक्षित संशोधन के साथ Amendment Statutes for the Grant of Retirement benefits to Employees of the Universities established and incorporated under section-3 of Jharkhand State University Act, 2000 (Adapted and as amended) का गठन किया गया है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–5/वि.1–39/2013............/ राँची, दिनांक ..../2019

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/ई–गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–5/वि.1–39/2013............/ राँची, दिनांक ..../2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–5/वि.1–39/2013............/ राँची, दिनांक ..../2019

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड/सभी सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आव"यक कायार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–5/वि.1–39/2013............/ राँची, दिनांक ..../2019

प्रतिलिपिः–निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची/कुलसचिव रॉची विश्वविद्यालय,रॉची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रॉची/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

AMENDMENT OF STATUTES FOR THE GRANT OF RETIREMENT BENEFITS TO EMPLOYEES OF THE BIHAR/RANCHI/BHAGALPUR/MAGADH/L.N.MITHILA/K.S.D.SANSKRIT UNIVERSITY

Whereas New Contributory Pension Scheme in place of existing pension scheme has been implemented for employees of Government of Jharkhand who joined service on or after 1st December, 2004. Therefore a new section 16AA will be inserted after section 16 of the Statutes No. 2 namely Statutes for the Grant of Retirement Benefits to Employees of The Bihar/Ranchi/Bhagalpur/Magadh/L.N. Mithila/K.S.D. Sanskrit University.

The name Bihar/Ranchi/Bhagalpur/Magadh/L.N. Mithila/K.S.D. Sanskrit University will henceforth be substituted by the Universities established under Jharkhand State Universities Act, 2000 (Adapted and as amended).

2. INSERTION OF SECTION 16 AA AFTER SECTION 16 AND 16A OF THE STATUTE NO. 2 NAMELY STATUTES FOR THE GRANT OF RETIREMENT BENEFITS TO EMPLOYEES OF THE BIHAR/RANCHI/BHAGALPUR/ MAGADH/L.N. MITHILA/ K.S.D. SANSKRIT UNIVERSITY.

The Existing Provisions of Section 16- An employee eligible for pension under any of the categories mentioned above, shall be granted pension according to the scales given in schedule ‘A’(ii) if the cased to be in University service between 1-4-72 and 31-12-72 and schedule A(ii) if the cased to be in University service between 1-1-73 and 30-03-79. For those who cased to be in University service from 31-03-79 onwards, the scales given in schedule A(iii) will be applicable. Any further change in the rate of pension as also relief in pension under the Bihar (Govt.) Pension Rules, will be equally applicable to the University employees.

The Existing Provisions of Section 16A- Wound and other extraordinary Pensions:- Employees of the University who sustain any injury or die as a result thereof or are killed as a result of special risk of office, will be entitled to injury gratuity and pension or family pension, as the case may be, under the same rules and conditions as are

applicable to the employees of the Govt. of Bihar. The rates of injury gratuity and pension and family pension payable under this Rule are given in Schedule-B and E respectively.

Be inserted by the following provisions:

16AA. “Jharkhand Sarkar, Sarkari Karmchari Anshdayee Pension Yojana-2004” as notified vide Deptt. of Finance, Govt. of Jharkhand Letter No. वि0पे0–5–47/03–518/वि.5 Dated 9th December, 2004 be adopted mutatis mutandis for all University employees, who joined the Services of the Universities established under the Jharkhand State Universities Act, 2000 (Adapted and as amended) on or after 1st December, 2004 on regular basis. All future amendments/modifications to the said Pension Yojana shall automatically come in to force in letter and spirit from said date as mentioned in “Jharkhand Sarkar, Sarkari Karmchari Anshdayee Pension Yojana-2004.”